न्यायालय
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी– प्रथम,
रोसड़ा, समस्तीपुर।
रोसड़ा थाना काण्ड सं0–364 / 19
जी0 आर0 सं0–1051 / 2019

19.02.2021 अभियुक्त पंकज कुमार न्यायालय में आत्मसमर्पण करता है, अभियुक्त पंकज कुमार की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन पत्र शक्ति–पत्र एवं चिकित्सीय जॉच प्रतिवेदन के साथ ई–मेल के माध्यम से दाखिल किया गया। जिसकी कॉपी विद्वान अनुमंडल अभियोजन अधिकारी को दी गयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से श्रीमान् सत्र् न्यायाधीश– समस्तीपुर के न्यायालय में अग्रीम जमानत आवेदन सं0–323 / 2020 दाखिल किया गया था जिसे खारिज किया। तत्पश्चात् अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में आपराधिक विविध वाद सं0–7708 / 2021 दाखिल किया गया जिसके खारिज होने के पश्चात् आवेदक अभियुक्त द्वारा किसी तरह का जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कुछ भी संदेहास्पद वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक अभियुक्त के पिता सुरेश मंडल को माननीय उच्च न्यायालय के पटना द्वारा आपराधिक विविध वाद सं0–10136 / 2020 में पारित आदेश के द्व ारा अग्रीम जमानत दिया गया है। आवेदक अभियुक्त के उपर संतोष कुमार को एक बार प्रहार करने करने का आरोप है जो उसके सिर पर लगा। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा–307 का कोई आरोप नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये संपूर्ण आरोप निराधार, तथ्यहीन व बनावटी है तथा आवेदक अभियुक्त को गलत फॅसाया गया है। आवेदक अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। इसलिए जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

विद्वान अनुमंडल अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका ममता देवी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड भा0 द0 वि0 की धारा–147, 149, 341, 447, 323, 307, 504, 506 के अंतर्गत आवेदक अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि '' घटना तिथि व समय में सूचिका अपने घर पर थी तो हल्ला हुआ तब सूचिका दौड़कर अपने खेत पर गयी तो देखी कि सूचिका के फरीक 1. पंकज कुमार एवं अन्य अभियुक्तगण सूचिका के पति को घेरे हुये थे और गाली–गलौज कर रहे थे तथा सूचिका के पति द्वारा विरोध किये जाने पर सुरेश मंडल एवं अशोक मंडल ने कहा कि साला को जान से मार दो उसी पर आवेदक पंकज कुमार ने जान मारने हेतु कुदाल से मारा जो सूचिका के पति के सिर पर लगा और वो गिर गया। पुनः विजय कुमार ने कुदाल से सिर पर मारा जिससे दोनों जख्म सिर पर हुआ, जब सूचिका के देवर रंजीत कुमार बचाने आये तो उसे भी सुरेश मंडल रॉड से मारा जो नाक पर लगा और वो बेहोश हो गया तथा जब सूचिका बचाने गयी तो अशोक मंडल एवं अन्य व्यक्ति सूचिका साड़ी खींचकर घसीटते हुये मारपीट किया।''

अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी की छायाप्रति के कंडिका–3 में वादिनी का पुर्नबयान, कंडिका–7, 8, 9, 26, 27 में साक्षियओं एवं जख्मियों का बयान अंकित है जिसमें वादिनी ने अपने पुर्नबयान में तथा साक्षियओं एवं जख्मियों ने अपने–अपने बयान में घटना का पूर्ण–समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–87 में जख्मी संतोष कुमार का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जो अनुमंडल अस्पताल रोसड़ा द्वारा निर्गत किया गया है जिसमें जख्म सं0–01 की प्रकृति को गंभीर बताया गया है तथा कारण HARD BLUNT OBJECT दिया गया है। आवेदक अभियुक्त का अग्रीम जमानत श्रीमान् सत्र् न्यायाधीश– समस्तीपुर तथा माननीय उच्च न्यायालय–पटना द्वारा खारिज किया गया है। आवेदक अभियुक्त पर कुदाल से जख्मी संतोष कुमार के सिर पर प्रहार करने का आरोप है।

न्यायालय

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी– प्रथम,
रोसड़ा, समस्तीपुर।
रोसड़ा थाना काण्ड सं0–364 / 19
जी0 आर0 सं0–1051 / 2019

लगातार

19.02.2021 आवेदक अभियुक्त के उपर लगाये गये आरोप की धारा–307 भा0 द0 वि0 अजमानतीय है तथा सत्र् न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वाद अभी अनुसंधान के अधीन है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थिति एवं आवेदक अभियुक्त के उपर लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुये मैं आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित नहीं पाता हूँ।

अतः अभियुक्त पंकज कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र दिनांक– 19.02.2021 को खारिज किया जाता है।

अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा प्रतिप्रेषित कर उपकारा रोसड़ा भेजा जाता है। कार्यालय लिपिक काराधिपत्र निर्गत करें।

दिनांक–05.03.2021 वास्ते प्रस्तुत करने अभियुक्त को कारा से।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दण्डा0–I